

राजस्थान सरकार  
देवस्थान विभाग

क्रमांक प. 5(23)देव/2003-00607

जयपुर, दिनांक 27/12/2023

उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा,  
पदेन अध्यक्ष,  
श्री कल्याणजी महाराज ट्रस्ट,  
डिग्गी मालपुरा, जिला-टोंक।

विषय :- ट्रस्ट मंदिर कल्याणजी में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का मनोनयन समाप्त किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(51)प्र.सु./अनु-3/2018 दिनांक 17-12-23 की पालना में न्यास मंदिर श्री कल्याणजी महाराज, डिग्गी मालपुरा जिला टोंक में क्रमांक प.5(23)देव/2003 दिनांक 30.04.2020 द्वारा नियुक्त किये गए निम्नांकित चार न्यासियों/सदस्यों का मनोनयन तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है:-

1. श्री हंसराज चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण गाता।
2. श्री सुरेश चंद शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा।
3. श्री गोपाल गुर्जर पुत्र श्री रामदेव गुर्जर।
4. श्री ठाकुर रामप्रताप सिंह।

27/12/2023

(विनोद कुमार प्रधान)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक (अनु.-3) विभाग
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, देवस्थान विभाग
5. निजी सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर
7. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर
8. श्री हंसराज चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मण गाता, मकान सं. 07, आहुजा कॉलोनी, कॉलेज के सामने, टोंक रोड़, राजस्थान, -304001
9. श्री सुरेश चंद शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा, ब्रजलाल नगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान
10. श्री गोपाल गुर्जर पुत्र श्री रामदेव गुर्जर, नसरी के सामने, जयपुर रोड़, मालपुरा, टोंक, राजस्थान
11. श्री ठाकुर रामप्रताप सिंह मारफत होटल डिग्गी पैलेस, शिवाजी मार्ग, जयपुर
12. रक्षित पत्रावली

27/12/2023

सहायक शासन सचिव